



राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
रावतभाटा रोड, कोटा- 324010

Phone : 0744-2473003

Web site : www.rtu.ac.in

क्रमांक:एफ(4)स्था./OPS/2023/3468-53


दिनांक 18/7/2023

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ(4)स्था0/ओपीएस/899-906 दिनांक 28.04.2023, क्रमांक: 1765-72 दिनांक 26.05.2023, क्रमांक 2194-2202 दिनांक 13.06.2023, क्रमांक 2349-56 दिनांक 17.06.2023 एवं 3019-45 दिनांक 05.07.2023 जारी किये गये थे। वित्त विभाग, (नियम अनुभाग) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.13(12) वित्त (नियम)/2021/जयपुर दिनांक 06.07.2023 के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

01. सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिक के संबंध में :

- (i) जिन संस्थाओं के कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके द्वारा CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उनको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एक मुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।
- (ii) जिन संस्थाओं के कार्मिक की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार के पारिवारिक पेंशन के पात्र सदस्य द्वारा कार्मिक को अथवा उसके परिवार को प्राप्त CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उनको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एक मुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।
- (iii) जिन संस्थाओं के कार्मिक द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी CPF/EPF की राशि संस्था में ही पुनः निवेशित कर दी गई है या सेवानिवृत्ति के उपरान्त किसी कारण से CPF/EPF की राशि संस्था में ही जमा है तो ऐसे मामलों में राशि का आहरण नहीं करने के कारण सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानकर सेवानिवृत्त कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एक मुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवायी जायेगी। अथवा संस्था स्तर से सीधे ही पेंशन निधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की सहमति से हस्तान्तरित की जायेगी।
- (iv) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक के वेतन में संशोधन के कारण बाद में नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज के राशि प्राप्त हुई हो अथवा भविष्य में प्राप्त हो तो उस CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एक मुश्त पेंशन फण्ड में जमा कराया जायेगा।


अनिल कुमार वर्मा
कुलसचिव



राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड, कोटा- 324010

Phone : 0744-2473003

Web site : www.rtu.ac.in

- (v) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक की CPF/EPF के लिये नियोक्ता अंशदान की किसी भी राशि को यदि किसी अन्य फण्ड/स्कीम यथा पेंशन स्कीम EPS-1995, आदि में जमा कराया गया है, तो उस अंशदान राशि पर अर्जित ब्याज की गणना 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के आधार पर जमा कराने की तिथि तक करते हुए एक मुश्त राशि पेंशन निधि में जमा कराई जायेगी
- (vi) जिन कार्मिकों द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार तकनीकी त्यागपत्र दिया जाकर अन्य संस्थान में नवीन पद पर कार्यग्रहण किया है, उनके मामलों में नियमों के अनुसार परीक्षण उपरान्त विकल्प स्वीकार करने के संबंध में प्रचलित पेंशन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- (vii) जिन कार्मिकों को अधिवार्षिक आयु से पूर्व नियमानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है, वह भी इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

02. सेवारत कार्मिक के संबंध में :-

- (i) CPF/EPF का विकल्प देने वाले सेवारत कार्मिकों की नियोक्ता अंशदान की राशि यदि संस्था में है, तो यह समस्त CPF/EPF की राशि मय अर्जित ब्याज के पेंशन फण्ड में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी, परन्तु यह राशि CPF/EPF/NPS से संबंधित संस्थाओं में है और विकल्प की निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त नहीं होती है, तो नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज / मूल्य के कार्मिक को स्वयं पेंशन फण्ड में एकमुश्त जमा करानी होगी।
- (ii) जिन संस्थाओं द्वारा सेवारत कार्मिकों के नियोक्ता अंशदान को अन्यत्र विनिवेशित है या किसी प्रतिभूति आदि के रूप में जमा है, उन संस्थाओं नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के निर्धारित तिथि तक राशि पेंशन निधि में हस्तांतरित करनी होगी, परन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 माह तक का शिथिलन वित्त विभाग की सक्षम अनुमति से दिया जा सकेगा। इस स्थिति में संस्था द्वारा अर्जित ब्याज उस तिथि तक का होगा, जिस तिथि को राशि पेंशन निधि में हस्तान्तरित की जाती है।

03. अन्य दिशा निर्देश :-

- (i) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपान्तरण) नियम, 1996 भिन्न भिन्न हैं और पेंशन परिलाभों की परिभाषा में सिर्फ पेंशन एवं ग्रेच्युटी सम्मिलित होता है। संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि यदि पेंशन विनियम उपरोक्त संदर्भित नियमों के आधार पर अंगीकार किया जाता है या किया गया हो, तो पेंशन निधि में जमा होने वाली संभावित राशि के अनुसार वित्तीय स्थिति एवं भविष्य की देयताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही तथा आकलन करने के उपरान्त पेंशन रूपान्तरण के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लें।

वीरेंद्र कुमार जमा
युक्तसचिव



राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड, कोटा- 324010

Phone : 0744-2473003

Web site : www.rtu.ac.in

- (ii) संस्था में GPF Linked Pension Scheme लागू होने के उपरान्त नियमित वेतनमान में नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर GPF Linked Pension Scheme के प्रावधान ही लागू रहेंगे।

जिन संस्थाओं ने सम्बन्धित से विकल्प पत्र प्राप्त कर लिये हैं या पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार राशि जमा कर ली है, उन सभी संस्थाओं द्वारा पुनः उपरोक्तानुसार नवीन मार्गदर्शन/संशोधन के संदर्भ से पुनः विकल्प पत्र प्राप्त करने होंगे तथा राशि को तदनुसार समायोजित जमा/लौटाने की कार्यवाही करनी होगी। वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से भिन्न किसी प्रकार के दिशा निर्देश संस्था द्वारा जारी नहीं किये जायें।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 31.07.2023 तक बढ़ाई जाती है। यदि दिनांक 31.07.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अंतर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 16.08.2023 तक जमा कराई जा सकती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)

आर.ए.एस.

कुलसचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)
02. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर
03. वित्त नियंत्रक
04. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/यूनिट इंचार्ज को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय में सेवारत समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों को इस संबंध में वांछित सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।
05. पी.एफ. सेल के प्रभारी एवं सहायक लेखाधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
06. उप कुलसचिव, (स्थापना)
07. वेब मास्टर उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
08. लेखाधिकारी/ सहायक कुलसचिव, वित्त एवं लेखा
09. निजी सचिव, कुलपति/निजी सहायक, कुलसचिव

कुलसचिव

OPTION FORM

(3 copies - one copy should be pasted on service book, one copy may be returned to employee after accepting option and one copy to be retained in official record.)

Name of the organization

A. To be filled by employees who were in service/retired and **also eligible family member of deceased employee** who were earlier governed by **CPF / EPF** for switching over to Old Pension Scheme.

1. I, (name) the undersigned, hereby re-option/option for old pension scheme of the organization and exercise the option to be governed by the provision of already existing GPF linked pension regulations named as or New Pension Regulation

2. I am aware the option for pension once exercised will be final and irrevocable.

1. Full Name : _____

2. Designation : _____

3. Department/Office : _____

4. CPF/EPF No. (If any): _____

5. Employee ID /GPF SAB No. _____

Note: If dependent of the family member is applying for old pension scheme then relevant documents should also be attached to ascertain eligibility under pension related provisions.

Signature of employee / dependent member with Date

Witness :

Witness 1. Signature and date

Name in Full

Designation

Witness 2. Signature and date

Name in Full

Designation

Handwritten signature and date: 24/1/20
(*Prof. Dr. ...*)
संयुक्त शासन सचिव-11

Continued

B. To be filled by office :

Received from(Name & designation)
regarding option forPension Scheme.

Note : In case of family pension the relevant documents should also be submitted with option form.

(Signature & Seal, Name and designation of receiving officer)

Date :

C. To be filled by officer of the authorized officer of the organization who is accepting the option

(i) Details of amount deposited / transferred one time by the employee / dependent with interest (as applicable) Rs.....

(ii) details of amount deposited / transferred one time by the employer (as applicable) Rs.....

(iii) Total amount one time deposited / transferred Rs.....

Note:

1. This option form shall be accepted only after deposition / transfer of one time amount as per order issued by State Government

2. The last date of deposition / transfer of all amount is 30.06.2023. However in case there is difference in calculated amount and the deposited / transferred amount, the remaining amount can be deposited / transferred by the employee / employer / dependent one time upto 15-7-2023.

3. It is certified that the calculation of deposited / transferred amount has been checked & the amount has been deposited/ transferred in the pension fund on

As all due amount has been deposited / transferred in the pension fund, therefore the option of Mr. / Ms. is accepted for pension / family pension from (date)

Dated :

Time :

*Signature with Seal
of the designation officer of the organization*


(संयुक्त शासन सचिव)
संयुक्त शासन सचिव-11

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021

जयपुर, दिनांक : 06 JUL 2023

आदेश

विषय: राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

सन्दर्भ: वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023) एवं आदेश दिनांक 17.06.2023।

संदर्भित समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं 17.06.2023 द्वारा राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्मिकों हेतु सीपीएफ के विकल्प के स्थान पर पेंशन योजना का विकल्प देने हेतु दी गई सहमति F.No.11/5/2001-IR दिनांक 26-6-2020 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 18-9-2020 के आलोक में तथा वित्त विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 20-4-2023 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए समसंख्यक आदेश दिनांक 20-4-2023 में निम्न सीमा तक संशोधित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. सेवानिवृत्त / मृतक कार्मिक के संबंध में :

- (i) जिन संस्थाओं के कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके द्वारा CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एक मुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।
- (ii) जिन संस्थाओं के कार्मिक की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार के पारिवारिक पेंशन के पात्र सदस्य द्वारा कार्मिक को अथवा उनके परिवार को प्राप्त CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।
- (iii) जिन संस्थाओं के कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी CPF/EPF की राशि संस्था में ही पुनः निवेशित कर दी गई है या सेवानिवृत्ति के उपरान्त किसी भी कारण से CPF/EPF की राशि संस्था में ही जमा है, तो ऐसे मामलों में राशि का आहरण नहीं करने के कारण सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानकर सेवानिवृत्त कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी अथवा संस्था स्तर से सीधे ही पेंशन निधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की सहमति से हस्तांतरित की जायेगी।

21/0

- (iv) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक के वेतन में संशोधन के कारण बाद में नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज के राशि प्राप्त हुई हो अथवा भविष्य में प्राप्त हो, तो उस CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा कराया जायेगा।
- (v) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक की CPF/EPF के लिये नियोक्ता अंशदान की किसी भी राशि को यदि किसी अन्य फण्ड / स्कीम यथा पेंशन स्कीम EPS, 1995 आदि में जमा कराया गया है, तो उस अंशदान राशि पर अर्जित ब्याज की गणना 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के आधार पर जमा कराने की तिथि तक करते हुए एक मुश्त राशि पेंशन निधि में जमा कराई जायेगी।
- (vi) जिन कार्मिकों द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार तकनीकी त्यागपत्र दिया जाकर अन्य संस्थान में नवीन पद पर कार्यग्रहण किया है, उनके मामलों में नियमों के अनुसार परीक्षण उपरान्त विकल्प स्वीकार करने के संबंध में प्रचलित पेंशन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- (vii) जिन कार्मिकों को अधिवार्षिकी आयु से पूर्व नियमानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है, वह भी इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. सेवारत कार्मिक के संबंध में :-

- (i) CPF/EPF का विकल्प देने वाले सेवारत कार्मिकों की नियोक्ता अंशदान की राशि यदि संस्था में है, तो यह समस्त CPF/EPF की राशि मय अर्जित ब्याज के पेंशन फण्ड में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी; परन्तु यदि यह राशि CPF/EPF/NPS से संबंधित संस्थाओं में है और विकल्प की निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त नहीं होती है, तो नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज/ मूल्य के कार्मिक को स्वयं पेंशन फण्ड में एकमुश्त जमा करानी होगी।
- (ii) जिन संस्थाओं द्वारा सेवारत कार्मिकों के नियोक्ता अंशदान को अन्यत्र विनिवेशित है या किसी प्रतिभूति आदि के रूप में जमा है, उन संस्थाओं नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के निर्धारित तिथि तक राशि पेंशन निधि में हस्तांतरित करनी होगी; परन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 माह तक का शिथिलन वित्त विभाग की सक्षम अनुमति से दिया जा सकेगा। इस स्थिति में संस्था द्वारा अर्जित ब्याज उस तिथि तक का होगा, जिस तिथि को राशि पेंशन निधि में हस्तान्तरित की जाती है।

3. अन्य दिशा निर्देश :-


- (i) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपान्तरण) नियम, 1996 भिन्न-भिन्न हैं और पेंशन परिलाभों की परिभाषा में सिर्फ पेंशन एवं ग्रेच्युटी सम्मिलित होता है। संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि यदि पेंशन विनियम उपरोक्त संदर्भित नियमों के आधार पर अंगीकार किया जाता है या किया गया हो, तो पेंशन निधि में जमा होने वाली संभावित राशि के अनुसार वित्तीय स्थिति एवं भविष्य की देयताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही तथा आकलन करने के उपरान्त पेंशन रूपान्तरण के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लें।
- (ii) संस्था में GPF Linked Pension Scheme लागू होने के उपरान्त नियमित वेतनमान में नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर GPF Linked Pension Scheme के प्रावधान ही लागू रहेंगे।

Handwritten signature

जिन संस्थाओं ने संबंधित से विकल्प पत्र प्राप्त कर लिये हैं या पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार राशि जमा कर ली है, उन सभी संस्थाओं द्वारा पुनः उपरोक्तानुसार नवीन मार्गदर्शन/संशोधन के संदर्भ से पुनः विकल्प प्राप्त करने होंगे तथा राशि को तदनुसार समायोजित जमा/लौटाने की कार्यवाही करनी होगी। वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से भिन्न किसी प्रकार के दिशा निर्देश संस्था द्वारा जारी नहीं किये जायें।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 31.07.2023 तक बढ़ाई जाती है। यदि दिनांक 31.07.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 16.08.2023 तक जमा कराई जा सकती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(के.के. पाठक)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप - 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर



(एस.जेड. शाहिद)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 6 / 2023)